राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकप. 8(3)कार्मिक/क–2/2023–04443 जयपुर, दिनांक 09 MAY 2025

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

विषयः–राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों से राशि लिये जाने के सम्बन्ध में।

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन प्रणाली के तहत अभ्यर्थियों द्वारा एकबारीय पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क दिये जाने के पश्चात् आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने पर अभ्यर्थी से बार–बार शुल्क नहीं लिया जाता है।

भर्ती एजेन्सी द्वारा एकबारीय पंजीयन की व्यवस्था के परिणास्वरूप भर्ती परीक्षाओं में एक बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया जा रहा है जो उस भर्ती से सम्बन्धित पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अनुभव धारित नहीं करते हैं और वे परीक्षा में उपस्थित भी नहीं होते हैं। अभ्यर्थियों के बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने एवं परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण भर्ती ऐजेन्सी को परीक्षा आयोजन में अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है तथा परीक्षा हेतु की जाने वाली व्यवस्था में होने वाला व्यय भी निष्फल होता है।

उक्त समस्या के निराकरण हेतु परिपत्र दिनांक 19.04.2023 की निरन्तरता में निर्देश दिये जाते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी द्वारा राशि रू. 750/– का भुगतान करने के पश्चात् ही ओ.टी.आर. सुविधा को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा। उक्तानुसार शुल्क जमा कराने के पश्चात् ओ.टी.आर. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि उसी वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी द्वारा राशि रू. 1500/– का भुगतान करने के पश्चात् ही ओ.टी.आर. सुविधा पुनः चालू की जायेगी।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे अनुपस्थित होने पर उक्त देय राशि से तब ही मुक्त किया जायेगा, जब वह परीक्षा आयोजित होने से एक माह पूर्व भर्ती एजेन्सी को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सूचित करेगा।

उक्त नवीन व्यवस्था परिपत्र जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगी। उक्त निर्देश **वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 162500775 दिनांक 24.04.2025 के अनुसरण में** जारी किये जाते हैं।

(डॉ0 कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Kris[illegible] Kant Pathak
Designation : S[illegible]cret[illegible] To Government
Date: 2025.05.[illegible]1[illegible]:33 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 14961887

20/2025